

३३४३/३।।४।।८

संख्या: १५६१) / ८-३-१७-२६ विविध / १७ टी०सी०

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- |   |   |
|---|---|
| 1. <b>आवास आयुक्त,</b><br>उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,<br>उत्तर प्रदेश। | 2. <b>उपाध्यक्ष,</b><br>समस्त विकास प्राधिकरण,<br>उत्तर प्रदेश।                       |
| 3. <b>अध्यक्ष,</b><br>समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,<br>उत्तर प्रदेश    | 4. <b>मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,</b><br>नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,<br>उ.प्र., लखनऊ। |

### आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३

लखनऊ : दिनांक : ३० अगस्त, 2018

**विषय:** लो-रिक्स एवं हाई-रिस्क भवनों के मानचित्रों का समयबद्ध निरस्तारण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

भवन अनुज्ञा पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं भवन मानचित्रों की स्वीकृति ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत की जा रही है। भवन मानचित्रों के निरस्तारण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न व्यवस्था सॉफ्टवेयर में लागू की जाती है :-

- (1) लो-रिस्क श्रेणी के मानचित्र 48 घन्टे (दो कार्यदिवस) में स्वीकृत न किये जाने पर मानचित्र स्वतः स्वीकृत हो जायेंगे।
- (2) हाई-रिस्क श्रेणी के मानचित्रों में प्राधिकरण द्वारा भेजी आपत्ति का निरस्तारण आवेदक द्वारा 30 दिवस के भीतर न किये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- (3) हाई-रिस्क श्रेणी के मानचित्र की दशा में प्राधिकरण द्वारा आवेदक को डिमांड भेजने के सात दिन के भीतर ऑनलाइन धनराशि का भुगतान न होने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- (4) उपरोक्त क्रमांक-२, ३ के अन्तर्गत निरस्त मानचित्र को पुनः प्रोसेस करने हेतु आवेदक सम्बन्धित प्राधिकारी को ई-मेल द्वारा अनुरोध भेज सकता है, और सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा यदि धनराशि वापस नहीं की गयी है तो बिना शुल्क के मानचित्र रिप्रोसेस करेगा।

भवदीय,

\_\_\_\_\_  
(नितिन रमेश गोकर्ण)  
प्रमुख सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
२. निदेशक (प्रशासन), आवास बन्धु, उ०प्र०।
३. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

\_\_\_\_\_  
(संजय कुमार सिंह)  
अनु सचिव।  
①